न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 20/2020 जिला अलवर

1. रघुवीर पुत्र श्री गणपत
2. विजय पुत्र श्री गणपत
3. कृष्ण पुत्र श्री गणपत
   समस्त जाति जाट निवासीयान ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. मु0 भगवानी पुत्री कालिया पत्नि विशम्भर दयाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल निवासी ग्राम रामपुरा फुल अजीत नगर, बीएसएनएल टावर के पास गली, नियर कूकू एम.सी. तहसील व थाना फुल जिला भटिण्डा पंजाब।
2. गोकल राम पुत्र श्री कालिया जाति कुम्हार निवासी ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
3. बसंती पुत्री कालिया पत्नि फूल सिंह जाति कुम्हार निवासी ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर हाल निवासी हरसोरा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0।
4. सन्तीया
5. गुगल पुत्रान मु0 नारायणी पुत्री कालिया,
6. प्रकाश
7. सुसन पुत्रान छेलू राम पुत्र मु0 नारायणी पुत्री कालिया जाति कुम्हार निवासी हाल खोल तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ प्रान्त हरियाणा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

8. तहसीलदार भू0अ0 मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान ।
9. उप पंजीयक मुण्डावर, जिला अलवर ।

—तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय अति0 जिला कलक्टर द्वितीय अलवर दिनांक 15.11.2016

उपस्थित—

1. श्री सुरेश मिठारवाल, वकील अपीलान्ट
2. श्री संदीप कुमार मीना, रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।
3. श्री पी.आर.शर्मा, रेस्पोडेन्ट नं. 2, 4 से 9 की ओर से अनुपस्थित।
4. रेस्पोडेन्ट नं. 3 व 5 अनुपस्थित
5. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, रेस्पोडेन्ट नं. 10 से 11 की ओर से

निर्णय

दिनांक —22.08.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति0 जिला कलक्टर द्वितीय अलवर के निर्णय दिनांक 15.11.2016 के खिलाफ प्रा.पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 एवं प्रा.पत्र 96 सी.पी.सी. के प्रस्तुत हुई है ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर द्वितीय अलवर के समक्ष एक अपील संख्या 11/34/14 दिनांक 03.07.2014 विरूद्ध तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर द्वारा तस्दीक किया गया इंतकाल संख्या 823 दिनांक 21.12.2004 ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर को गलत बताते हुये निरस्त फरमाये जाने की अपील की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर द्वारा दिनांक 15.11.2016 को तहसीलदार मुण्डावर द्वारा तस्दीकशुदा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

इंतकाल संख्या 823 दिनांक 21.12.2004 ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार मुण्डावर को प्रतिप्रेषित कर मृतक कालिया के जायज वारिसान की जांच कर पुनः विधिवत पक्षकार की सुनवाई कर विधिवत निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये।

3. अति0 जिला कलक्टर द्वितीय अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 15.11.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट रघुवीर पुत्र गणपत जाति जाट वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर द्वितीय अलवर के निर्णय दिनांक 15.11.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। वकील रेस्पोडेन्ट नं. 2, 4 से 9 व 3 व 5 की ओर से कोई हाजिर नहीं आये। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही मृतक कालिया की विरासत का इंतकाल संख्या 823 स्वीकार किया गया था। असल रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय अलवर के समक्ष एक अपील संख्या 11/34/14 दिनांक 03.07.2014 विरूद्ध तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर द्वारा तस्दीक किया गया इंतकाल संख्या 823 दिनांक 21.12.2004 ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर को पेश कर निवेदन किया कि " तहसीलदार मुण्डावर द्वारा दिनांक 21.12.2004 इंतकाल संख्या 823 ग्राम सोडावास का विरासत कालिया मृतक तस्दीक करने से पूर्व ना तो अपीलान्ट/असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कोई सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिया गया और ना ही कोई नोटिस जारी किया गया और बिना कोई प्रकिया अपनाएं ही अपीलाधीन आज्ञा खिलाफ तथ्य मौका कानून अवैधानिक रूप से पारित किया है। अपीलान्ट/असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व गोकल राम का पिता व तर. रेस्पो. संख्या 3 लगा. 7 का नाना व नानाससुर कालिया पुत्र श्योजी जाति कुम्हार निवासी सोडावास तहसील मुण्डावर के परिवार के सदस्य वंशवृश है। अपीलान्ट/असल रेस्पोडेन्ट ससं. 1 के पिता कालिया की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 51, 53, 54, 287, 290 कुल किता 6 कुल रकबा 3.20 है0 का 1/2 भाग पर अपीलान्ट/असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता काबिज है। अपीलान्ट/असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता कालिया पुत्र श्योजी का स्वर्गवास हो चुका है। अपीलान्ट/असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसकी बहन नारायणी, बसंन्ती व भाई गोकलराम हुए। मेरी बहन नारायणी का स्वर्गवास हो चुका है जिनको वारिसान छेलूराम, संतिया, गुगल हुए जिसमें से छेलू फौत हो गया जिसके वारिसान प्रकाश, सूसू, लीलू व मु0 विद्या हैं। अपीलान्ट/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने पिता कालिया की जायज वारिस है और अपने पिता की विरासत में अपना हक व हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। अपीलान्ट/असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/4 हिस्सा बनता है। असल रेस्पोडेन्ट गोकल राम ने अपीलान्ट/असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 असल के पिता कालिया की उक्त आराजी मेरे पिता मरने के बाद अपीलाधीन इंतकाल को तस्दीक व स्वीकार किया गया हैं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गोकल राम व मेरी बहनों को उनके हक व हिस्सा से महरूम रखने की नियत से तहत अदालत से साज बाज करके अपने स्वंय के हक में अकेले के नाम तस्दीक कराया गया है। जबकि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मृतक कालिया की विरासत में अपीलान्ट/असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व बहनों का भी हक व हिस्सा बनता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अनुसूची की सदस्य है और अपने पिता की विरासत में अपना हक व हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आज्ञा खिलाफ मौका कानून राजस्व रिकाड साक्ष्य प्रतिवादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं न्याय के नियमों व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू–राजस्थान

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

Scanned with OKEN Scanner

अधिनियम 1956 व भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है। तहत न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का मौका नहीं दिया। अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 02.06.2014 को हुई। जिस पर आवश्यक दस्तावेजात की नकल लेकर अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ पेश की। जिस पर तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय अलवर द्वारा अपने आदेश दिनांक 15.11.2016 के तहसीलदार मुण्डावर द्वारा तस्दीकशुदा इंतकाल संख्या 823 दिनांक 21.12.2004 ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये गये। जिस विवादित आदेश की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 27.07.2020 को असल रेस्पोडेन्ट सं. 1 विवादित आराजी पर आई और अपीलार्थी के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हुए कहा कि उसने तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर से तहसीलदार मुण्डावर द्वारा स्वीकार किया गया विरासत का इंतकाल संख्या 823 को निरस्त करा दिया है तथा अब वह इस जमीन पर कब्जा लेगी तथा अब अपीलार्थी को इस जमीन से बेदखल कर देगी। जिस पर अपीलार्थी असल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पास पहुंचा तथा असल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से कहा कि आपने अपीलार्थी के साथ उक्त आराजी का विनियम (एक्सचेंज) करते हुए उक्त विवादित आराजी अपीलार्थी को दी है तथा अपीलार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि एक्सचेंज के तहत प्राप्त की है तथा असल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व अपीलार्थी के मध्य दिनांक 29.04.2006 को विनियम पत्र उप पंजीयक मुण्डावर जिला अलवर द्वारा पुस्तक संख्या 1 जिल्द सं. 272 पृष्ठ संख्या 103, क्रम संख्या 2006000949 पर तस्दीक कराया गया है। असल रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने असल रेस्पोडेन्ट सं. 1 व असल रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगा. 9 के साथ साज बाज होकर बमिल्लत विरासत इंतकाल सं. 823 तहसीलदार मुण्डावर दिनांक 21.12.2004 ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर को खारिज कराया है। जिस पर असल रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने भी कहा कि वह कुछ नहीं कर सकता। उसने तो अपीलार्थी को धोखा देकर अपीलार्थी की जमीन विनियम के नाम पर ले ली है। अब यदि विनियम के नाम पर अपीलार्थी को दी गई जमीन अपीलार्थी के हाथ से निकलती है तो उससे उसे कोई लेना–देना नहीं है। यह कहते हुए असल रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2016 की नकल अपीलार्थी को दे दी तथा अपीलार्थी से कहा कि अब तुमसे जो हो सके वो कर लेना। असल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपीलार्थी के पास प्रस्ताव रखा था कि आराजी खसरा नम्बर 79 रकबा 0.09 है0 सालिम, वाके ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर में है। जो उसकी तन्हा कब्जे काश्त खातेदारी की है। जिस आराजी में किसी दीगर व्यक्ति का कोई हक व वास्ता नहीं है तथा उसके परिवार के किसी भी सदस्य का इस आराजी में किसी प्रकार का हक व वास्ता है तथा उसे उक्त आराजी को रहन बया हिब्बा या अंतरण/मुंतकित मकफूल करने/विनिमय करने में कोई काननूी बाधा नहीं है। अपीलार्थी की कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 286 रकबा 0.38 है0, 295 रकबा 0.73 है0 कुल 1.11 है0 का 3/4 हिस्सा 0.08332 है0 असल रेस्पोडेन्ट सं. 2 को पसन्द है और इस आराजी से असल रेस्पोडेन्ट सं. 2 अपनी आराजी को विनियम/तबादला (एक्सचेंज) करना चाहता है। इस विनियम/तबादला (एक्सचेंज) करना चाहता है। इस विनियम/तबादला से अपीलार्थी व असल रेस्पोडेन्ट सं. 2 को बेहत लाभ का असल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपीलार्थी को आश्वासन व भरोसा दिया। अपीलार्थी ने असल रेस्पोडेंन्ट संख्या 2 की बातों पर विश्वास करते हुए असल रेस्पोडेन्ट सं. 2 के आराजी विनियम के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए जरिये रजिस्टर्ड विनियम पत्र दिनांक 29.04.2006 पुस्तक संख्या 1 जिल्द सं. 272 पृष्ठ संख्या 103, क्रम संख्या 2006000949 उप पंजीयक मुण्डावर के यहॉ पर तस्दीक कराया गया। (जिसकी प्रति संलग्न है) जिस विनिमय पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत सोडावास द्वारा विनिमय इंतकाल सं. 952 तस्दीक किया गया। तदानुसार अपीलार्थी के नाम उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजीयत राजस्व रिकॉर्ड में अमल लाई गईं। बाद

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

विनिमय उक्त आराजी उबड खाबड व बंजड होने के कारण उसे कृषि हेतु योग्य बनाने के लिए अपीलार्थी ने जिस्मानी मेहनत के साथ–साथ लाखों रूपये उपकरण पर खर्च किये। जिसमें अपीलार्थी को काफी रूपये कर्ज से लेने पडे। जिस कर्ज को चुकाने की ऐवज में विनिमय विलेख के माध्यम से अपीलार्थी को प्राप्त हुई आराजी में से आराजी खसरा नम्बर 79 रकबा 0.09 है0 सम्पूर्ण रमेश, राजेन्द्र वगैरहा को व आराजी खसरा 53 रकबा 0.97 है0 में से 01.0 है0 भूमि उर्मिला पत्नि सिंध राज शर्मा निवासी सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर को बेचान कर दी। जिसका इंतकाल दर्ज होकर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हो चुका है तथा शेष आराजी पर अपीलार्थी आज भी काबिज दाखिल रहकर कार्य काश्त कर रहा है तथा मौके पर अपीलार्थी ने बाजरे की फसल बोई हुई है। यदि तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय अलवर के आदेश दिनांक 15.11.2016 की पालना में विरासत इंतकाल सं. 823 तहसीलदार मुण्डावर ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर को निरस्त किया जाता है तो अपीलार्थी द्वारा विनिमय के आधार पर प्राप्त की गयी आराजी से अपीलार्थी को आर्थिक हानि के साथ–साथ भयंकर मानसिक वेदना झेलना होगी तथा अपीलार्थी द्वारा विनियम पत्र के आधार पर असल रेस्पोडेन्ट सं. 2 को विनिमय की गई आराजी खसरा नम्बर 286 रकबा 0.38 है0, 295 रकबा 0.73 है0 कुल 1.11 है0 का 3/4 हिस्सा 0.8332 है0 भी नहीं मिल पावेगी तथा असल रेस्पोडेन्ट सं. 2 द्वारा असल रेस्पोडेन्ट सं. व असल रेस्पोडेन्ट सं. 3 लगा. 9 से मिलीभगत करते हुए विरासत इंतकाल संख्या 823 तहसीलदार मुण्डावर दिनांक 21.12.2004 निरस्त करा लिया है। अपीलार्थी द्वारा रजिस्टर्ड विनिमय पत्र के आधार पर प्राप्त की गई आराजी में रहवास हेतु मकान इत्यादि भी बनाये हुए है। अपीलार्थी के पास अपने परिवार सहित रहवास हेतु अन्य कोई जगह नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, अलवर के अपीलाधीन रिमाण्ड आदेश दिनांक 15.11.2016 की पालना में तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 1/2018 उनवानी मु0 भगवानी बनाम गोकल व अन्य निर्णय दिनांक 16.05.2018 द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर में अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2018 जारी करने से पूर्व अपीलान्ट खातेदार की बिना सुनवाई किए आदेश पारित किया है। अपीलांटस विवादित नामान्तकरण से संबंधित आराजी में प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं, जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार प्रभावित पक्षकारो को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मुण्डावर को निर्णय पारित करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर द्वारा 16.05.2018 पारित करने में विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर एवं तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर ने तथ्यों व दस्तावेजात् की जॉच किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय अति0 जिला कलक्टर द्वितीय, अलवर के आदेश दिनांक 15.11.2016 एवं तहसीलदार मुण्डावर के आदेश दिनांक 16.05.2018 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट नं. 1 के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार मुण्डावर द्वारा दिनांक 21.12.2004 इंतकाल संख्या 823 ग्राम सोडावास का विरासत कालिया मृतक तस्दीक करने से पूर्व ना तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कोई सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिया गया और ना ही कोई नोटिस जारी किया गया और बिना कोई प्रकिया अपनाएं ही अपीलाधीन आज्ञा खिलाफ तथ्य मौका कानून अवैधानिक रूप से पारित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व गोकल राम का पिता व तर. रेस्पो. संख्या

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

3 लगा. 7 का नाना व नानाससुर कालिया पुत्र श्योजी जाति कुम्हार निवासी सोडावास तहसील मुण्डावर के परिवार के सदस्य वंशवृश है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पिता कालिया की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 51, 53, 54, 287, 290 कुल किता 6 कुल रकबा 3.20 है0 का 1/2 भाग पर अपीलान्ट/असल रेरपोडेन्ट संख्या 1 के पिता काबिज है। अपीलान्ट/असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता कालिया पुत्र श्योजी का स्वर्गवास हो चुका है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसकी बहन नारायणी, बसंन्ती व भाई गोकलराम हुए। मेरी बहन नारायणी का स्वर्गवास हो चुका है जिनको वारिसान छेलूराम, संतिया, गुगल हुए जिसमें से छेलू फौत हो गया जिसके वारिसान प्रकाश, सूसू, लीलू व मु0 विद्या हैं। अपीलान्ट/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने पिता कालिया की जायज वारिस है और अपने पिता की विरासत में अपना हक व हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/4 हिस्सा बनता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 गोकल राम ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 असल के पिता कालिया की उक्त आराजी मेरे पिता मरने के बाद अपीलाधीन इंतकाल को तस्दीक व स्वीकार किया गया हैं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 गोकल राम ने मुझे व मेरी बहनों को उनके हक व हिस्सा से महरूम रखने की नियत से तहत अदालत से साज बाज करके अपने स्वंय के हक में अकेले के नाम तस्दीक कराया गया है। जबकि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मृतक कालिया की विरासत में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व बहनों का भी हक व हिस्सा बनता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अनुसूची की सदस्य है और अपने पिता की विरासत में अपना हक व हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आज्ञा खिलाफ मौका कानून राजस्व रिकाड साक्ष्य प्रतिवादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं न्याय के नियमों व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू–राजस्थान अधिनियम 1956 व भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है। तहत न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का मौका नहीं दिया। तहसीलदार मुण्डावर द्वारा इन्तकाल दर्ज करते समय मृतक के वारिसान की विधिवत जॉच नहीं की ना ही प्रार्थीयों को सुनवाई व साक्ष्य का मौका दिया। अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 02.06.2014 को हुई । इन्तकाल की जानकारी अपीलांट को प्रारम्भ से ही नहीं थी। जानकारी प्राप्त होने पर आवश्यक दस्तावेजात की नकल लेकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 के साथ अपील पेश की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर द्वारा दिनांक 15.11.2016 को तहसीलदार मुण्डावर द्वारा तस्दीकशुदा इंतकाल संख्या 823 दिनांक 21.12.2004 ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार मुण्डावर को प्रतिप्रेषित कर मृतक कालिया के जायज वारिसान की जांच कर पुनः विधिवत पक्षकार की सुनवाई कर विधिवत निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये। जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 10 व 11 के राजकीय अधिवक्ता ने बहस में अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिक है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट द्वारा रजिस्टर्ड विनियम पत्र के आधार पर विवादित भूमि प्राप्त की गई है। इसलिये अपीलान्ट अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार है। जिसके कारण न्यायहित में अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। दिनांक 27.07.2020 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विवादित आराजी पर आयी और मुझसे अपीलाधीन आदेश के बारे में बताया तो उसे अपीलाधीन आदश की जानकारी हुई। जिसके कारण अपील पेश करने मे देरी होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली

अतिरिक्त संभागीय [illegible] जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

के अवलोकन से जाहिर होता है कि मुख्य विवाद वस्तुतः वाद में आराजी विवादित भूमि सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर खसरा नम्बर 51, 53, 54, 79, 287, 290 कुल किता 6 कुल रकबा 3.20 है0 भाग पर अपीलांट के पिता कालिया की कब्जे काश्त खातेदारी के 1/2 भाग पर काबिज है। जिसकी खातेदारी कालिया पुत्र श्योजी जाति कुम्हार के नाम से थी। कालिया के 4 पुत्र/पुत्रियां भगवानी, नारायणी, बसन्ती, गोकलराम थे। कालिया की मृत्यु पर विरासत का नामान्तरकरण सिर्फ गोकलराम के नाम खोल दिया गया। जिससे व्यथित होकर मु0 भगवानी पुत्री कालिया ने अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर में अपील प्रस्तुत की, जिस पर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने अपने निर्णय दिनांक 15.11.2016 के जरिये अपील स्वीकार की, कि पिता की मृत्यु के बाद विरासत का इन्तकाल संख्या 823 कालिया मृतक के पुत्र, पुत्री जो जिन्दा है जिसका हिन्दू लॉ के अनुसार मृतक की सम्पत्ति में हक वो अधिकार है तथा समान हिस्सा की उत्तराधिकारी है के तथ्य को छुपाते हुये तथा बिना मृतक कालिया के जायज वारिसान की जांच किए स्वीकार कर लिया गया। जिसके आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार एवं पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार मुण्डावर का आदेश दिनांक 22.12.2004 बाबत इंतकाल संख्या 823 वाके ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर निरस्त किया जाकर इस निर्देश के साथ तहसीलदार मुण्डावर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक कालिया के जायज वारिसान की जांच कर पुनः विधिवत पक्षकार की सुनवाई कर विधिवत निर्णय पारित करने का आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट रघुवीर पुत्र गणपत द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में की गई है। यह स्वीकृत तथ्य है कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार ग्राम सोडावास की कृषि भूमि कालिया पुत्र श्योजी के नाम से दर्ज रही है। जिससे साबित है कि आराजी भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि रही है। हमारा विनम्र मत है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार ही हल्का पटवारी की रिपोर्ट, साक्ष्य सबूत व शपथ–पत्र एवं मृतक के विधिक वारिसान की जांच की जाकर विरासत का नामान्तरकरण कालिया के 4 वारिस पुत्र व पुत्रियों भगवानी, नारायणी, बसन्ती, गोकलराम के नाम बराबर हक तस्दीक किये जाने चाहिये था, जो कि केवल रेस्पोडेन्ट नं. 2 गोकल राम के नाम खोला गया था। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.11.2016 में जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है तथा अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। अपीलांट का कथन है कि कालिया की मृत्यु होने के पश्चात उसकी खातेदारी भूमि उसके वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 2 पुत्र गोकल राम के नाम दर्ज की गई थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 पुत्र गोकल राम के नाम दर्ज खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 286 रकबा 0.38 है0, 295 रकबा 0.73 है0 कुल 1.11 है0 का 3/4 हिस्सा 0.08332 है0, वाके ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर जिला सीकर को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 गोकल राम ने विनियम/तबादला (एक्सचेंज) से अपीलान्ट रघुवीर, विजय, कृष्ण पुत्रान श्री गणपत को जरिये रजिस्टर्ड विनिमय पत्र दिनांक 29.04.2006 पुस्तक संख्या 1 जिल्द सं. 272 पृष्ठ संख्या 103, क्रम संख्या 2006000949 उप पंजीयक मुण्डावर के यहॉ पर तस्दीक कराया गया है। जिस विनिमय पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत सोडावास द्वारा विनिमय इंतकाल सं. 952 तस्दीक किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, अलवर के अपीलाधीन रिमाण्ड आदेश दिनांक 15.11.2016 की पालना में तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 1/2018 उनवानी मु0 भगवानी बनाम गोकल व अन्य निर्णय दिनांक 16.05.2018 द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मुण्डावर के निर्णय दिनांक 16.05.2018 से जाहिर होता है कि तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2018 जारी करने से पूर्व अपीलान्ट खातेदार की बिना सुनवाई किए आदेश पारित किया है। अपीलांटस

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

विवादित नामान्तकरण से संबंधित आराजी में प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं, जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार प्रभावित पक्षकारो को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मुण्डावर को निर्णय पारित करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर द्वारा 16.05.2018 पारित करने में विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2018 निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश हैं कि: अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर दिनांक 15.11.2016 यथावत रखा जाता है तथा तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर का प्रकरण संख्या 1/2018 उनवानी मु0 भगवानी बनाम गोकल व अन्य में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2018 निरस्त कर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर जिला सीकर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वह उभयपक्षों को सुनकर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/8/23

(असलम शेर खान)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner